# न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

## विविध बैंक प्रकरण संख्या 12/2020(GCMS : 2020/00029)

कॉरपोरेशन बैंक, 13–डी ब्लॉक, श्रीगंगानगर–335001

<u>बनाम</u>

1. **मैसर्स गौतम** एंटरप्राईजेज **के जरिये प्रो. स्व. श्री राजेश कुमार वाधवा (के जरिये कानूनी वारिस), पता 312, विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर**
2. **स्व. श्री राजेश कुमार वाधवा** पुत्र स्व. श्री जेराम वाधवा(जरिये कानूनी वारिस)
3. **श्रीमती रजनी वाधवा** पत्नी स्व. श्री राजेश कुमार वाधवा
4. **श्री गौतम वाधवा** पुत्र स्व. श्री राजेश कुमार वाधवा
5. **श्री मनीष वाधवा** पुत्र स्व. श्री राजेश कुमार वाधवा
6. **श्रीमती करतार देवी** माता स्व. श्री राजेश कुमार वाधवा, पता मकान नं. 653, होमलेण्ड सिटी 1, सूरतगढ रोड, श्रीगंगानगर
7. **श्री मधू रंजन वाधवा** पुत्र श्री जय राम दास, पता मकान नं. 639, होमलेण्ड सिटी 1, सूरतगढ रोड, श्रीगंगानगर
8. **श्री राहुल वाधवा** पुत्र स्व. श्री चेतन वाधवा, पता मकान नं. 651, होमलेण्ड सिटी 1, सूरतगढ रोड, श्रीगंगानगर
9. **मैसर्स जे. आर. एग्रो फूड के हिस्सेदार**
10. **स्व. श्री देवेन्द्र कुमार वाधवा**
11. **श्रीमती विना वाधवा** पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र कुमार वाधवा
12. **श्री अर्जुन वाधवा** पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र कुमार वाधवा
13. **श्री खेमचन्द वाधवा** पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र कुमार वाधवा, पता मकान नं. 652, होमलेण्ड सिटी 1, सूरतगढ रोड, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>27.09.2023</u>

**पत्रावली पेश हुई।** प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 28.01.2020 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स गौतम एंटरप्राईजेज–प्रो. स्व. श्री राजेश कुमार, स्व. श्री [illegible] कुमार वाधवा(जरिये कानूनी वारिस), रजनी वाधवा, गौतम वाधवा, मनीष वाधवा, करतार देवी, मधु रंजन, राहुल वाधवा, मैसर्स जे आर एग्रो फूड के हिस्सेदार स्व. श्री देवेन्द्र कुमार, विना [illegible] अर्जुन वाधवा एवं खेमचन्द वाधवा को ऋण सुविधा के रूप में राशि 24.[illegible] लाख रूपये (अखरे रूपये चौबीस लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृत दिनाक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 12:58:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

01.02.2011 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थीगण स्व. देवेन्द्र कुमार वाधवा एवं मधु रंजन वाधवा द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति मकान नं. 652, एस क्यू नं. 42—43, किला नं. 1,10, 5, 6 (क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट), चक 4 एम एल, होमलैण्ड सिटी, सूरतगढ़ रोड, श्रीगंगानगर एवं मकान नं. 639, एस क्यू नं. 42—43, किला नं. 1,10, 5, 6 (क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट), चक 4 एम एल, होमलैण्ड सिटी, सूरतगढ़ रोड, श्रीगंगानगर,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

**मैने,** पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मैसर्स गौतम एंटरप्राईजेज—प्रो. स्व. श्री राजेश कुमार, स्व. श्री राजेश कुमार वाधवा(जरिये कानूनी वारिस), रजनी वाधवा, गौतम वाधवा, मनीष वाधवा, करतार देवी, मधू रंजन, राहुल वाधवा, मैसर्स जे आर एग्रो फूड के हिस्सेदार, स्व. श्री देवेन्द्र कुमार, विना वाधवा, अर्जुन वाधवा एवं खेमचन्द वाधवा को 24.00 / — लाख रूपये (अखरे रूपये चौबीस लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 01.02.2011 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण ऋणियों **स्व. देवेन्द्र कुमार वाधवा एवं मधु रंजन वाधवा द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी अचल** सम्पत्ति **मकान नं. 652, एस क्यू नं. 42—43, किला नं. 1,10, 5, 6 (क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट), चक 4 एम एल, होमलैण्ड सिटी, सूरतगढ़ रोड, श्रीगंगानगर एवं मकान नं. 639, एस क्यू नं. 42—43, किला नं. 1,10, 5, 6 (क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट), चक 4 एम एल, होमलैण्ड सिटी, सूरतगढ़ रोड, श्रीगंगानगर,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 31.12.2018 **को** [illegible] गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी रजनी वाधवा, [illegible] वाधवा, करतार देवी, मधू रंजन वाधवा, राहुल वाधवा, मैसर्स जे.आर. एग्रो फूड के हिस्सेदार, विना वाधवा, अर्जुन वाधवा एवं खेमचन्द वाधवा को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 04.04.2019 को जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by AnshDeep Ralh
Date: 2023.10.12 12:58:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप Track Complaint Status पत्रावली में उपलब्ध है, परन्तु अप्रार्थी मै. गौतम एंटरप्राईजे को धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थीगण ऋणियों स्व. देवेन्द्र कुमार वाधवा एवं मधु रंजन वाधवा की दृष्टि बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति मकान नं. 652, एस क्यू नं. 42–43, किला नं. 1,10, 5, 6 (क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट), चक 4 एम एल, होमलैण्ड सिटी, सूरतगढ़ रोड, श्रीगंगानगर एवं मकान नं. 639, एस क्यू नं. 42–43, किला नं. 1,10, 5, 6 (क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट), चक 4 एम एल, होमलैण्ड सिटी, सूरतगढ़ रोड, श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 04.04.2019 की तामील का प्रश्न है, प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 04.04.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने की धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण रजनी वाधवा, गौतम वाधवा, मनीष वाधवा, करतार देवी, मधू रंजन वाधवा, राहुल वाधवा, अर्जुन वाधवा, मैसर्स जे.आर. एग्रो, विना वाधवा, अर्जुन वाधवा एवं खेमचन्द वाधवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 12:58:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जाना अंकित किया है, जिसकी पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं Track Complaint Status पत्रावली में उपलब्ध है परन्तु मैसर्स जे.आर. एग्रो फूड के ऑनलाईन ट्रैक पर रिपोर्ट के अनुसार उसे धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है एवं स्व. श्री राजेश कुमार वाधवा एवं स्व. श्री देवेन्द्र कुमार वाधवा का वारिस प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया है, जिससे ये ज्ञात नहीं होता है कि उक्त स्व. राजेश कुमार वाधवा एवं स्व. श्री देवेन्द्र कुमार वाधवा के समस्त वारिसों को पक्षकार बनाया गया है अथवा नहीं?, इसलिए समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की विधिक तामील होना नहीं माना जा सकता।

**हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार की धारा 8 निम्नानुसार अवलोकनीय है :**

> **पुरूष की दशा में उतराधिकारी के साधारण नियम : निर्वसीयत मरने वाले हिन्दु पुरूष की सम्पत्ति इस आधार पर उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी:**
>
> **(क) प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है।**
>
> **(ख) द्वितीयतः , यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विर्निदिष्ट सम्बन्धी है**
>
> ..............................

**हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956** की धारा 8 के अनुसार अनुसूची के वर्ग 1 अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी माता, पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि उसके उत्तराधिकारी की श्रेणी में आते है। इस प्रकरण में प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थी स्व. राजेश कुमार वाधवा के वारिस एवं स्व. श्री देवेन्द्र कुमार वाधवा के नाम प्रकरण पेश किया है [illegible] 13(2) के नोटिस में स्व. राजेश कुमार वाधवा के वारिस [illegible] वाधवा, मनीष वाधवा एवं करतार देवी के नाम अंकित कर नोटिस जारी किया है। इसीप्रकार प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने देवेन्द्र कुमार—मृतक के विरूद्ध प्रकरण पेश किया है और उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 12:58:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

समस्त उत्तराधिकारियों को धारा 13(2) का नोटिस दिया गया है अथवा नहीं?, का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि मृतक स्व. श्री राजेश कुमार वाधवा एवं देवेन्द्र कुमार वाधवा के समस्त उतराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक था। **चूंकि ऋणी की माता, पत्नी, पुत्र, पुत्री भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956** की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी है जिसे भी धारा 13(2) का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। **इस सम्बन्ध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का प्रकरण संख्या डब्ल्यूपी नं. 27230/2009 अनवान् एस. सुहैना बानो वगै. बनाम इण्डियन बैंक, एआरएम ब्रांच वगै. निर्णय दिनांक 01.12.2010 अवलोकनीय** है। उक्त पैटीशन संख्या 27230/2009 के निर्णय अनुसार मृतक ऋणी/गारंटर के वारिसान को धारा 13(2) का नोटिस उक्त नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। **नोटिस तामील के सम्बन्ध में वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 निम्नानुसार अवलोकनीय है:**

**<u>Demand Notice</u>**

(1) The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmiting at the place where the borrower or his agent. empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service:

PROVIDED that where authorised officer has reason to believe that **the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service cannot be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and also by publishing the**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.10.12 12:58:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

**contents of the demand notice in two leading newspaper,** one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.
(2) Where the borrower is a body corporate the demand notice shall be served on the registered office or any of the brances of such body corporate as specified under sub rule(a)
(3) Any other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.
(4) Where there are more than one borrower the demand noice shall be served on each borrower.

चूंकि प्रार्थीगण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 04.04.2019 अप्रार्थीगण रजनी वाधवा, गौतम वाधवा, मनीष वाधवा, करतार देवी, मधू रंजन वाधवा, राहुल वाधवा, मैसर्स जे.आर. एग्रो फूड के हिस्सेदार, विना वाधवा, अर्जुन वाधवा एवं खेमचन्द वाधवा को जारी कर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है तथा **अप्रार्थी ऋणी स्व. श्री राजेश कुमार वधवा एवं श्री देवन्द्र कुमार वाधवा के समस्त उतराधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है अथवा नहीं? का स्पष्ट उल्लेख नही है एवं मै. जे.आर. एग्रो फूड के हिस्सेदार के नाम अंकित नहीं है एवं उन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया है,** जो उक्त **THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 के RULE 3 के तहत मान्य नहीं है।**

**माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड ने 2012 Cr. l.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr के पैरा—13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :**

**13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 12:58:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी कॉर्पोरेशन बैंक लि. का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 में अप्रार्थी ऋणी के समस्त** उत्तराधिकारियों **को पक्षकार न बनाये जाने के कारण और उक्त अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना न होने के कारण, माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान रखते हुए** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रार्थी बैंक का** धारा 14 का प्रार्थना पत्र **स्वीकार नहीं किया जा सकता।** प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए धारा 13(2) के नोटिस सपठित नियम 3 की पालना करते हुए ऋणी के समस्त उतराधिकारियों को जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से करते हुए एवं बंधक सम्पत्ति के दस्तावेज का शपथ पत्र में अंकित बंधक सम्पत्ति से पूर्ण मिलान कर, पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 27.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(अंशदीप)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 12:58:39 IST
Reason: SelfAttested